प्रेषक,

गन्ना आयुक्त,
उत्तर प्रदेश।

प्रेष्य,

समस्त जिलाधिकारी
(गन्ना उत्पादक जनपद)
उत्तर प्रदेश ।

पत्र संख्या 3169/सी / दिनांक 2017 15.09.2017

विषय :– टैगिंग आदेश का प्रभावी अनुपालन सुनिश्चित कराने के सम्बन्ध में।

महोदय,

आप अवगत हैं कि गन्ना किसानों के गन्ना मूल्य का समय से भुगतान करने के सम्बन्ध में उ0प्र0 गन्ना (पूर्ति एवं खरीद विनियमन) अधिनियम, 1953 यथा अद्यावधिक संशोधित की धारा–17 (5) की उपधारा (क) एवं (ख) तथा उ0प्र0 गन्ना (पूर्ति एवं खरीद विनियमन) नियमावली, 1954 यथा अद्यावधिक संशोधित के नियम–48 (क) के उपनियम–2 के अन्तर्गत चीनी मिलों हेतु सम्बन्धित जिलाधिकारी के स्तर से टैगिंग आदेश पारित किये जाते हैं । अग्रेतर चीनी मिल द्वारा उत्पादित चीनी पर मिल के बैंकर्स से चीनी के बन्धक पर प्राप्त होने वाली अग्रिम धनराशि की 85 प्रतिशत धनराशि गन्ना मूल्य में स्थानान्तरित किये जाने के निर्देश प्रसारित हैं।

2– उक्त के अतिरिक्त जिन चीनी मिलों द्वारा कैश केडिट लिमिट स्वीकृत नहीं कराई जाती है तथा चीनी विकय स्वयं किया जाता है, उन चीनी मिलों द्वारा चीनी विकय से प्राप्त धनराशि की 85 प्रतिशत धनराशि का भुगतान अनिवार्यतः गन्ना मूल्य के मद में किये जाने के निर्देश प्रसारित हैं।

3–यह अनुभव किया जा रहा है टैगिंग आदेश जारी होने के उपरान्त चीनी मिल द्वारा अपने बैंकर्स के साथ किये गये अनुबन्ध के सापेक्ष उत्पादित चीनी के बंधक पर समय–समय पर प्राप्त होने वाली अग्रिम धनराशि में से निर्धारित टैगिंग (85 प्रतिशत की दर से) की धनराशि का गन्ना मूल्य मद में समय से भुगतान नहीं हो रहा है । यह भी अनुभव किया जा रहा है कि कई चीनी मिलों द्वारा बैंक से सी.सी.एल. स्वीकृत नहीं करायी जा रही है और उनके द्वारा चीनी बन्धक रखकर बैकर्स से अग्रिम की व्यवस्था न कर चीनी विकय स्वयं किया जा रहा है और ऐसे दोनों ही मामलों में जिला एवं क्षेत्रीय स्तर पर प्रभावी अनुश्रवण न होने के कारण प्रायः चीनी मिलें चीनी बन्धक अथवा चीनी विकय से गन्ना मूल्य भुगतान हेतु उपलब्ध होने वाली धनराशि को तत्समय गन्ना मूल्य मद में कृषकों को भुगतान न कर अपने अन्य प्रयोजनों में व्यावर्तित कर ले रही हैं ।

4– यदि चीनी मिलों को चीनी बन्धक से प्राप्त होने वाली अग्रिम धनराशि अथवा चीनी विकय से प्राप्त होने वाली धनराशि का एक नियत प्रतिशत, जो वर्तमान में 85 प्रतिशत निर्धारित किया गया है, नियमित एवं सामान्य रुप से गन्ना मूल्य मद में भुगतान करा

दिया जाय तो कृषकों को गन्ना मूल्य की अधिकांश धनराशि का नियमानुसार समय से भुगतान सुनिश्चित हो सकता है।

5— गन्ना मूल्य भुगतान सम्बन्धी उक्त व्यवस्थाओं को और अधिक प्रभावी ढंग से कियान्यिवत करने के सम्बन्ध में मा. उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा दिनांक 05.09.2014 में निम्न निर्णयादेश पारित किये गये जिसका कार्यकारी अंश निम्नवत् है:—

" .....***The process of sale shall be monitored by the Collector of each district and the amount realised shall be deposited in a seperate account in a nationalized bank and shall be utilized only for the payment of dues of the cane growers or, as the case may be.....***"

उक्त के परिप्रेक्ष्य में गन्ना किसानों के त्वरित गन्ना मूल्य भुगतान सुनिश्चित कराने के दृष्टिगत निम्नवत् निर्देश दिये जा रहे हैं :—

(i) सी.सी.एल. लेने वाली चीनी मिलों को बैंकर्स से चीनी बन्धन पर प्राप्त होने वाली अग्रिम धनराशि की 85 प्रतिशत अथवा नान सी.सी.एल. वाली चीनी मिलों को चीनी विकय से उपलब्ध होने वाली धनराशि की 85 प्रतिशत धनराशि गन्ना मूल्य के भुगतान हेतु नियत होगी। जो चीनी मिल के एस्को (**ESCROW**) एकाउन्ट में जमा कर मात्र गन्ना मूल्य भुगतान में उपयोग की जायेगी। नान सी.सी.एल. वाली चीनी मिलों के चीनी विकय से प्राप्त धनराशि की न्यूनतम 85 प्रतिशत धनराशि एस्को (**ESCROW**) एकाउन्ट में जमा न होने की स्थिति में चीनी का विकय रोक दिया जायेगा।

(ii) चीनी मिलों के संभावित संचालन की तिथि से कम से कम 15 दिन पूर्व उनका टैगिंग आदेश पारित करा दिया जायेगा। यदि संचालन की तिथि तक चीनी मिल द्वारा बैंक अनुबंध एवं स्वीकृत सी.सी.एल. की सूचना जिला गन्ना अधिकारी को उपलब्ध नहीं कराई जाती है तो पेराई सत्र शुरू होने के 03 दिन के भीतर उसके द्वारा उत्पादित चीनी स्टाक को जिला गन्ना अधिकारी/एस.डी.एम. तथा चीनी मिल के अधिकारी की संयुक्त अभिरक्षा में ले लिया जाएगा तथा चीनी विकय से प्राप्त धन के 85 प्रतिशत धनराशि को गन्ना मूल्य के भुगतान हेतु नियत करने तथा यह धनराशि एस्को (**ESCROW**) एकाउन्ट में जमा करने का आदेश निर्गत करा दिया जाएगा।

(iii) प्रत्येक चीनी मिल का 01 एस्को (**ESCROW**) एकाउन्ट सम्बन्धित बैंक में खोला जाएगा जिसका संचालन सम्बन्धित चीनी मिल के महाप्रबन्धक/अध्यासी एवं जिला गन्ना अधिकारी के द्वारा संयुक्त रूप से सुनिश्चित किया जाएगा। एस्को (**ESCROW**) एकाउन्ट खोले जाने की कार्यवाही चीनी मिल संचालन की तिथि तक अनिवाये रूप से पूरी कर ली जाएगी।

(iv) जिन चीनी मिलों द्वारा सी.सी.एल. स्वीकृत करायी गयी है, उन मिलों के सम्बन्ध में पारित टैगिंग आदेश में सम्बन्धित जिला गन्ना अधिकारी, सम्बन्धित बैकों/बैंक तथा चीनी मिल के मध्य अनुबन्ध कराया जायेगा। टैगिंग आदेश के अनुरुप गन्ना मूल्य मद में प्राप्तव्य धनराशि एक एस्को (**ESCROW**) एकाउन्ट में जमा की जायेगी तथा यह

धनराशि सम्बन्धित बैकों द्वारा आर.टी.जी.एस. **(RTGS)** अथवा एन.ई.एफ.टी. **(NEFT)** के माध्यम से सीधे गन्ना किसानों/सम्बन्धित गन्ना समिति को उनके खाते में भेजी जायेगी। इसमें किसी प्रकार की अनियमितता अथवा विचलन संज्ञानित होने पर सम्बन्धित जिला गन्ना अधिकारी, चीनी मिल अथवा बैक के विरुध्द अग्रेतर कार्यवाही की जायेगी।

(v) जिन चीनी मिलों द्वारा चीनी विक्रय से प्राप्त धनराशि से गन्ना मूल्य भुगतान किया जा रहा है, ऐसे प्रकरणों में चीनी स्टाक सम्बन्धित चीनी मिल एवं सम्बन्धित उप जिलाधिकारी/ जिला गन्ना अधिकारी की संयुक्त अभिरक्षा में रखा जायेगा । अग्रेतर चीनी बिक्री से प्राप्त 85 प्रतिशत धनराशि बैंक में एस्क्रो **(ESCROW)** एकाउन्ट में जमा की जायेगी व आर.टी.जी.एस. **(RTGS)** अथवा एन.ई.एफ.टी. **(NEFT)** के माध्यम से सीधे गन्ना किसानों/सम्बन्धित गन्ना समिति को उनके खाते में भेजी जायेगी। इसमें किसी प्रकार की अनियमितता अथवा विचलन संज्ञानित होने पर सम्बन्धित का उत्तरदायित्व निर्धारित किया जायेगा।

(vi) एस्क्रो **(ESCROW)** एकाउन्ट में नियत टैगिंग के अनुसार धनराशि न हस्तान्तरित करनेएवं इस खाते में हस्तान्तरित धनराशि गन्ना मूल्य के अलावा किसी अन्य प्रयोजन हेतु व्यय होने की स्थिति में जिला गन्ना अधिकारी, चीनी मिल अध्यासी एवं सम्बन्धित बैंक के शाखा प्रबन्धक का उत्तरदायित्व निर्धारित किया जायेगा ।

(vii) पेराई सत्र के दौरान उत्पादित चीनी से प्राप्त अग्रिम/चीनी विक्रय की धनराशि की नियत धनराशि उसी सत्र के गन्ना मूल्य भुगतान में उपयोग की जाएगी। विगत सत्रों के लंबित भुगतान की व्यवस्था चीनी मिलों द्वारा अन्य स्रोतों यथा शीरा, बगास एवं प्रेसमड आदि से प्राप्त होने वाले राजस्व से की जाएगी।

(viii) पेराई सत्र के अन्तर्गत यदि सम्बन्धित चीनी मिलों का गन्ना मूल्य भुगतान, चीनी विक्रय/बैंक अग्रिम से उपलब्ध होने वाली धनराशि से संभव नहीं होता है तो चीनी मिल द्वारा उत्पादित शीरा, बगास एवं प्रेसमड के विक्रय मूल्य से प्राप्त राजस्व का भी संज्ञान लेते हुए आवश्यकतानुसार धनराशि गन्ना मूल्य मद में भुगतान कराई जाएगी। इसके अतिरिक्त सी.सी.एल. वाली चीनी मिलों को बन्धक चीनी के विक्रय से प्राप्त होने वाली मार्जिन मनी की 85 प्रतिशत धनराशि भी गन्ना मूल्य भुगतान में उपयोग करायी जाएगी। जिससे किसानों को त्वरित गन्ना मूल्य भुगतान सुनिश्चित हो सके।

(ix) ऐसे प्रकरणों में जहाँ दिये गये निर्देशों के बाद भी गन्ना मूल्य खाते से व्यावर्तन किये जाने की स्थिति प्रकाश में आती है, वहाँ पर इसे **यू.पी. वैक्युम पैन शुगर फैक्ट्रीज** लाइसेन्सिंग आर्डर, 1969 के उपबन्ध–3(1) की अनुसूची–I(4) में दिये गये निर्देशों का

उल्लंघन मानते हुए इस आर्डर के उपबन्ध–8 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत दण्डनीय होगा तथा आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 में वर्णित व्यवस्था के अन्तर्गत सम्बन्धित चीनी मिल के खिलाफ कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

(x) जिला गन्ना अधिकारी द्वारा चीनी मिलों के टैगिंग आदेश के अनुपालन किये जाने एवं गन्ना मूल्य भुगतान की पाक्षिक समीक्षा जिलाधिकारी के स्तर पर सुनिश्चित कराई जाय ।

(xi) त्वरित गन्ना मूल्य भुगतान के सम्बन्ध में निर्गत उपर्युक्त निर्देशों की निगरानी हेतु निर्धारित प्रारूप (क्रय 1 से 4) पर सूचनाएं पाक्षिक रूप से गन्ना आयुक्त कार्यालय को भी उपलब्ध कराई जायेगी।

इस कार्यालय द्वारा इस सम्बन्ध में निर्गत पूर्व आदेश उक्त सीमा तक संशोधित समझे जायें।

कृपया उपर्युक्तानुसार अग्रेतर कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(संजय आर. भुसरेड्डी)
गन्ना आयुक्त, उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्या– 3169/सी / **दिनांक** 15·09·2017

प्रतिलिपि :–

1. समस्त मण्डलायुक्त (गन्ना उत्पादक मण्डल) को इस अनुरोध के साथ कि कृपया अपने स्तर से भी सम्बन्धित जिला अधिकारियों को निर्देशित करने का कष्ट करें ।
2. निजी सचिव, मा. मंत्री जी गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग,उ.प्र.शासन को मा. मंत्री जी के अवलोकनार्थ प्रेषित ।
3. निजी सचिव, प्रमुख सचिव गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग,उ.प्र.शासन को प्रमुख सचिव के अवलोकनार्थ प्रेषित ।
4. समस्त क्षेत्रीय उप गन्ना आयुक्त,उ.प्र. को इस निर्देश के साथ कि अपने स्तर पर प्रभावी अनुश्रवण करते हुए निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करें ।
5. समस्त जिला गन्ना अधिकारी,उ.प्र. को इस निर्देश के साथ कि कृपया उक्त निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करें ।

15·09·17

(वी.के.शुक्ल)
अपर गन्ना आयुक्त (शोध एवं समन्वय)
कृते गन्ना आयुक्त,उत्तर प्रदेश।